RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 935/2026

Balaji Tent House, Through Proprietor/manager Nanchuram Alias Nanu Ram Mali, R/o Indra Bazar, Kalwad, Jaipur

----Appellant

Versus

1. Nandaram Sukariya S/o Fattharam, Aged About 57 Years, Resident Of Raigaro Ka Mohalla, Kalwad Panchayat Samiti Jhotwara, Tehsil And District-Jaipur.
2. Smt Koshalya Devi W/o Shri Nandaram Sukariya, Aged About 52 Years, Resident Of Raigaro Ka Mohalla, Kalwad Panchayat Samiti Jhotwara, Tehsil And District-Jaipur.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Ram Singh Gurjar, Adv. for Mr. Manish K. Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

25/02/2026

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा पी.एफ., नोटिस, डाक शुल्क आदि सात दिवस में पेश किये जाने पर प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण को सामान्य प्रक्रिया के साथ–साथ स्पीड पोस्ट से अपील व स्थगन आवेदन के नोटिस जारी किये जावें।

अपील छः सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध की जावे।

S. B. Civil Misc. Stay Application No. 941/2026:-

स्थगन आवेदन पर सुना गया।

न्यायालय आयुक्त, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, जयपुर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किया गया है, आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन अपीलार्थी का खारिज हुआ है।

सपूंर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा आज से एक माह में पांच लाख रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रत्यर्थी/दावेदार नन्दाराम के नाम से बनाकर विचारण न्यायालय में जमा करा दे, तो शेष राशि की वसूली इस अपील के निस्तारण तक स्थगित रहेगी। ऐसा डिमाण्ड ड्राफ्ट पेश होने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/दावेदार को सूचित किया जायेगा तथा प्रत्यर्थी/दावेदार द्वारा यदि अपील में असफल रहने की स्थिति में प्राप्तशुदा राशि 7 प्रतिशत ब्याज साहित लौटाई जाने की अण्डरटेकिंग दी जाती है, तो उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रत्यर्थी/दावेदार को विचारण न्यायालय द्वारा सुपुर्द कर दिया जावे।

प्रत्यर्थी/दावेदार की अनुपस्थिति में यह आदेश पारित किया गया है, अतः उनके उपस्थित आने के बाद इस आदेश को संशोधित/उपांतरित कराने हेतु नवीन आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र होगा।

इसी अनुसार यह स्थगन आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /10